PRIORITY

No. 17048/01/2015-IPS ACR Cell
GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA
*****

North Block, New Delhi
Dated, the 10th November, 2016

To

1. **The Principal Secretary (Home) of all State Governments/UTs**
2. **The Custodian of PAR (in SPARROW application for IPS officers)**

Sub : **Implementation of SPARROW application for IPS officers – Generation and schedule for closure of e-PARs – Reg**

Sir/Madam,

I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that SPARROW application for writing of electronic Performance Appraisal Report (e-PAR) for the year 2015-16 and onwards by IPS officers has been developed based on the All India Services (Performance Appraisal Report) Rules, 2007. In **sub-Rule 9.4 of the said Rules it has been prescribed that if a PAR relating to a financial year is not recorded by 31st of December of the year in which the financial year ended, no remarks shall be recorded thereafter.**

2. In view of the above Rule position, **the SPARROW application in which IPS officers are to write their e-PAR for the year 2015-16 shall be close down at the midnight of 31st December, 2016**.

3. It is, therefore, requested to monitor progress of each and every PAR for 2015-16 of IPS officers on day-to-day basis so that all PARs for the year could be completed by 31st December, 2016 positively.

4. It is reiterated that, in case, any concerned officers face any inconvenience in SPARROW application, he/she may seek assistance of the 'Help-Desk' constituted for the purpose in this Ministry at telephone number 011 2309 2913 or at *arun.57@nic.in*.

Yours faithfully,

(Mukesh Sawhney)
Under Secretary to the Government of India
Tele : 011 2309 4038

Copy with a request on the above lines is forwarded to the Primary Custodian of PAR (in SPARROW application for IPS officers) - all Ministries/Departments/Central Organisations.

--p/2

Copy also to the Technical Director, NIC, MHA, North Block, New Delhi – with the request to please upload the above letter dated 10.11.2016 at **the** MHA web-site (www.mha.nic.in) under the Police-I Division portal.

(Arun Chakraborty)
Section Officer
IPS ACR Cell
10/11/2016

फैक्स / तत्काल / समयबद्ध / अति महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।

1, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001

फोन नम्बर–0522–2207997 / फैक्स न.0522–2206120

संख्या–डीजी–1– पीएआर–6–93 / 2016 दिनांकःअगस्त 29 ,2016

सेवा में,

1–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
3–समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक।
5–समस्त सहायक पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।

विषयः– भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अंकित करने व लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण प्रेषित करने हेतु Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) system लागू कराने के संबंध में ।

कृपया शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–982डीजी / छःपु0से0–2–16–522(13) / 2016 दिनांक 23–8–2016 की संलग्न प्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अंकित करने हेतु Smart Performance Appraisal Report Recording Online Window (SPARROW) system लागू कराने हेतु एक प्रतिवेदक, एक समीक्षक व एक स्वीकर्ता अधिकारी का निर्धारण पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारियों के स्तरों का निर्धारण किया गया है।

2– **आप अवगत है कि आईपीएस अधिकारियों द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त एक्ट के अन्तर्गत सम्पत्ति विवरण SPARROW में ऑन–लाईन 31.12.16 के पूर्व प्रेषित किया जाना है एवं वर्ष 2015–16 के ए0सी0आर0 आन–लाईन लिखे जाने हैं। अतः अब इन्हें आफ लाईन हार्डकापी में प्रेषित न किया जाये ।** इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 01–03–2016 द्वारा उपरोक्त व्यवस्था लागू कराने हेतु भारतीय पुलिस सेवा के समस्त अधिकारियों की ई–मेल आईडी एन0आई0सी0 द्वारा निर्गत कराने व उनके द्वारा डिजिटल सिग्नेचर प्रमाणित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया था ।

3– एन0आई0सी0 द्वारा निर्गत आईपीएस अधिकारियों की ई–मेल आईडी की सूची उ0प्र0 पुलिस की बेवसाईट में आई0पी0एस0 मैटर में अपलोड है। इसके अतिरिक्त एनआईसी यूपी ई–मेल डायरेक्ट्री में भी उपलब्ध है। प्रतिवेदित(Reported upon), प्रतिवेदक(Reporting), समीक्षक(Reviewing), स्वीकर्ता (Accepting) अधिकारियों के स्तर पर स्वमूल्यांकन अथवा पी0ए0आर0 अंकित कर सम्बन्धित अधिकारियों को SPARROW/एनआईसी की अपनी ई–मेल आई0डी0 से अग्रेतर सम्बन्धित प्राधिकारियों को उनकी SPARROW/एनआईसी की ई–मेल आईडी पर प्रेषित किये जायेंगे।

4– अवगत कराना है कि आन–लाईन प्रविष्टियॉ अंकित करने हेतु वर्ष 2015–16 की स्वमूल्यांकन आफ लाईन यदि आप द्वारा अभी प्रेषित नही की गयी है तो आप पी0ए0आर0 फार्म के सेक्शन–1 के सभी कालम जिसमें वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराने की तिथि व वार्षिक सम्पत्ति विवरण प्रेषित किये जाने की तिथि व संलग्न शासन के कार्यालय ज्ञाप के अनुसार प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकर्ता अधिकारियों के नाम भी अंकित किये जाने है, पूर्णरूप से भरकर मेल–आईडी **igkarmik-up@nic.in** पर तत्काल प्रेषित कर दें ताकि आपकी **PAR** जनरेट की जा सके। दिनांक 1–4–15 से 31–3–16 की अवधि में यदि आपकी एक से अधिक नियुक्तियॉ 90 दिवस से अधिक हों तो नियुक्ति अवधि के अनुसार अलग–अलग अवधि के सेक्शन–1 तैयार कर प्रेषित करने होंगे। 90 दिवस से कम नियुक्ति होने पर नान इनीसियेशन सार्टीफिकेट जारी किये जायेंगे।

5– **PAR** जनरेट होने के उपरान्त स्वमूल्यांकन आख्या Section-II-Self Appraisal तैयार कर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी को उनकी SPARROW/एनआईसी मेल–आईडी पर प्रेषित की जायेगी।

Recd/PA 29/8

प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित करके अपनी SPARROW/एनआईसी ई–मेल–आईडी से समीक्षक अधिकारी को उनकी SPARROW/एनआईसी ई–मेल आईडी पर प्रेषित किया जायेगा तदोपरान्त समीक्षक अधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित करके स्वीकर्ता अधिकारी को उनकी ई–मेल आईडी पर प्रेषित किया जायेगा। स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित करने के पश्चात Custodian की मेल आईडी पर प्रेषित किया जायेगा । Custodian की मेल आईडी से प्रतिवेदित अधिकारी को प्रविष्टि डिस्क्लोज की जायेगी। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा स्वीकर्ता अधिकारी को प्रविष्टि से असन्तुष्ट होने की दशा में प्रत्यावेदन प्रेषित किया जायेगा जिसका निस्तारण करके Custodian की मेल आईडी से गृह मंत्रालय, भारत सरकार को SPARROW system में ऑन–लाईन प्रविष्टि प्रेषित कर दी जायेगी।

6– SPARROW system में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम के अन्तर्गत **सम्पत्ति विवरण** ऑन–लाईन प्रेषित करने हेतु स्कैन करके अपलोड करके प्रेषित करने अथवा SPARROW system में ऑन–लाईन भरने के विकल्प उपलब्ध हैं। अधिकारी अपनी सुविधानुसार इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं।

7– अखिल भारतीय सेवायें (कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट) नियमावली में दिनांक 31 दिसम्बर तक सभी स्तरों पर प्रविष्टियों का कार्य पूर्ण कर लिये जाने के निर्देश हैं। **दिनांक 31 दिसम्बर के पूर्व कार्य मूल्यांकन निष्पादन रिपोर्ट को प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकर्ता स्तर पर पूर्ण कराने के उपरान्त अधिकारियों को डिस्क्लोज्ड कराने के उपरान्त उनके सम्बन्ध में प्रत्यावेदन का निस्तारण कराकर भारत सरकार को प्रविष्टि प्रेषित की जानी है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रविष्टियॉ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31–12–16 के उपरान्त स्वीकार नही की जायेगी तथा प्रविष्टि Blank हो जायेगी। 31 दिसम्बर के पश्चात प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकर्ता अधिकारी का प्रविष्टि अंकित करने का अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा क्योंकि 31 दिसम्बर को** SPARROW system **की Site बन्द हो जायेंगी। अतएव वर्ष 2015–16 की प्रविष्टियॉ प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता स्तर पर तत्काल पूर्ण करायी जानी आवश्यक हैं । आफ लाईन अंकित की गयी प्रविष्टियॉ भी गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा** SPARROW system **पर स्कैन की हुई स्वीकार की जायेंगी। जिन अधिकारियों द्वारा अपनी स्वमूल्यांकन आख्या हार्ड कापी में प्रेषित की जा चुकी है उन्हें सेक्शन–1 प्रेषित किये जाने की आवश्यकता नही है। इस प्रकार की प्रविष्टियॉ पूर्ण होने के बाद** SPARROW system **में स्कैन करके प्रेषित की जायेंगी।**

8– **SPARROW system** में पी0ए0आर0 जनरेट करने हेतु शासन के संलग्न कार्यालय ज्ञाप दि0 23.8.16 द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार उनके प्रतिवेदक, समीक्षक व स्वीकर्ता अधिकारियों के नाम व अवधि तथा अधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये वार्षिक सम्पत्ति विवरण तथा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने की तिथि भी अंकित की जानी है। अतः अनुरोध है कि पीएआर के सेक्शन–1(संलग्न) के सभी कालम भरकर आज ही मेल–आईडी **igkarmik-up@nic.in** पर तत्काल प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि पीएआर जनरेट की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

28/8/16

(पी0सी0 मीना)
अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ0प्र0, लखऊ को अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि सचिव गृह, गृह(पुलिस सेवायें) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को शासन के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

28/8/16

(पी0सी0 मीना)
अपर पुलिस महानिदेशक/
पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को सूचनार्थ ।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग–2
संख्या–982डीजी / छः पु0से0–2–16–522(13) / 2016
लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अंकित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या–5611 / छः पु0से0–2–7 / 2(1) / 94, दि0 30.11.1992, शासनादेश संख्या–242 / 242(।।) / छः पु0से0–2–7 / 2(1) / 74, दि0 17.02.09, 18.02.09 एवं जीआई–264 / छः पु0से0–2–16–522(13) / 2016, दि0 29.04.16 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–790डीजी / छः पु0से0–2–16–522(13) / 2016, दि0 14.07.16 को अवक्रमित करते हुये पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक / पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता प्राधिकारियों के स्तरों का निर्धारण निम्नवत किया जाता हैः–

I- ऐसे संगठन जिनके प्रमुख सम्प्रति अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी है।

क	पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकर्ता प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	पुलिस अधीक्षक	पुलिस उपमहानिरीक्षक	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विभागीय)	प्रमुख सचिव, गृह
2	पुलिस उपमहानिरीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विभागीय)	प्रमुख सचिव, गृह
3	पुलिस महानिरीक्षक	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (विभागीय)	पुलिस महानिदेशक	प्रमुख सचिव, गृह

II- ऐसे संगठन जिनके प्रमुख महानिदेशक स्तर के अधिकारी है।

क	पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकर्ता प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक	महानिदेशक (विभागीय)	प्रमुख सचिव, गृह
2	पुलिस उपमहानिरीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक	महानिदेशक (विभागीय)	प्रमुख सचिव, गृह
3	पुलिस महानिरीक्षक	महानिदेशक(विभागीय)	प्रमुख सचिव, गृह	गृह मंत्री / मुख्य मंत्री

III- सिविल पुलिस संगठन जिनके प्रमुख पुलिस महानिदेशक है।

क	पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकर्ता प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	सहायक पुलिस अधीक्षक	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र	पुलिस महानिदेशक
2	पुलिस अधीक्षक नगर / ग्रामीण	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक	पुलिस महानिरीक्षक, जोन	पुलिस महानिदेशक
3	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (जनपद स्तर)	पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेन्ज)	पुलिस महानिदेशक	प्रमुख सचिव, गृह
4	पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेन्ज)	पुलिस महानिरीक्षक (जोन)	पुलिस महानिदेशक	प्रमुख सचिव, गृह
5	पुलिस महानिरीक्षक (जोन)	पुलिस महानिदेशक	प्रमुख सचिव, गृह	गृह मंत्री / मुख्य मंत्री

—

IV- अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी।

क	पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकर्ता प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	अपर पुलिस महानिदेशक	पुलिस महानिदेशक	प्रमुख सचिव, गृह	गृह मंत्री/मुख्य मंत्री

V- पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी।

क	पदनाम	प्रतिवेदक प्राधिकारी	समीक्षक प्राधिकारी	स्वीकर्ता प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	पुलिस महानिदेशक	मुख्य सचिव	गृह मंत्री	मुख्य मंत्री

2— यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की दशा में मा0 गृह मंत्री जी के स्थान पर गृह विभाग के मा0 प्रभारी सलाहकार तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के स्थान पर महामहिम श्री राज्यपाल स्वीकर्ता प्राधिकारी होगें।

3— ऐसे संगठन जिनके प्रमुख सम्प्रति अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी है, के द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या अंकित किये जाने विषयक कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14.07.12 के प्रस्तर—1 में अंकित पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक के कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकर्ता अधिकारियों को मन्तव्य/ग्रेडिंग अंकित किये जाने हेतु निर्धारित किये गये अधिकार में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

जिन अधिकारियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या पर स्वीकर्ता प्राधिकारी पुलिस महानिदेशक है, उनकी प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरान्त अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को डिस्क्लोज करते हुये उसकी प्रति भारत सरकार को भेजने के साथ—साथ एक प्रति अधिकारी की चरित्र पंजिका में रखे जाने हेतु शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4— कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

देबाशीष पण्डा
प्रमुख सचिव।

संख्या—982डीजी(1)/छ:पु0से0—2—16, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार (एसीआर सेल), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

(2) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से समस्त पुलिस विभाग के विभागाध्यक्षों के मध्य परिचालित करने का कष्ट करें।

(3) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अखिलेश त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

Form I

[See rule 4]

The All India Services (Performance Appraisal Report) Rules, 2007
(Applicable for all Indian Police Service officers up to the level of Inspector General of Police)
Performance Appraisal Report for the period from _________ to __________

Section-I

Basic Information

(To be filled in by the Administration Division/Home Department)

1.Name of the officer reported upon:

2.Service: 3.Cadre: 4.Year of allotment:

5.Date of Birth:

6.Present Grade: 7.Present post:

8.Date of appointment to present post:

9.Reporting, Reviewing and Accepting Authorities:

	Name & Designation	Period worked
Reporting Authority		
Reviewing Authority		
Accepting Authority		

10.Period of absence on leave, etc.

	Period	Type	Remarks
On Leave (specify type)			
Others (specify)			

11.Training Programs attended

Date from	Date to	Institute	Subject

12. Awards/Honours:

13. Details of PARs of officers not written by the officer as reporting/reviewing authority for the previous year.

14. Date of filing the property return for the year ending December

15. Date of last prescribed medical examination
(Mandatoryfor all Indian Police Service officers)
Attach summary of the medical report

Date: Signature on behalf of___________
Admn/Home Dept